

भारत सरकार
GOVERNMENT OF INDIA



दिल्ली राजपत्र Delhi Gazette

एस.जी.-डी.एल.-अ.-17032022-234260
SG-DL-E-17032022-234260

असाधारण
EXTRAORDINARY

प्राधिकार से प्रकाशित
PUBLISHED BY AUTHORITY

सं. 178]

दिल्ली, बुधवार, मार्च 16, 2022/फाल्गुन 25, 1943

[रा.रा.रा.क्षे.दि. सं. 545

No. 178]

DELHI, WEDNESDAY, MARCH 16, 2022/PHALGUNA 25, 1943

[N. C. T. D. No. 545

भाग IV
PART IV

राष्ट्रीय राजधानी राज्य क्षेत्र दिल्ली सरकार
GOVERNMENT OF THE NATIONAL CAPITAL TERRITORY OF DELHI

वित्त (व्यय-I) विभाग

अधिसूचना

दिल्ली, 16 मार्च, 2022

संख्या 15/2021-राज्य कर (दर)

सं. फा. 3(158)/वित्त (व्यय-I)/2021-22/डीएस- I/169.—दिल्ली माल और सेवा कर अधिनियम, 2017 (2017 का 03) की धारा 9 की उप धारा (1), उप धारा (3) और उप धारा (4), धारा 11 की उप धारा (1), धारा 15 की उप धारा (5), धारा 16 की उप धारा (1) और धारा 148 के तहत प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र दिल्ली के उपराज्यपाल, इस बात से संतुष्ट होते हुए की ऐसा करना जनहित में आवश्यक है और इस परिषद की सिफारिशों के आधार पर, एतद्वारा, राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र दिल्ली के वित्त विभाग (राजस्व- I) की अधिसूचना संख्या 11/2017-राज्य कर (दर), दिनांक 30 जून, 2017, जिसे सं. फा. 03(15)/वित्त (राजस्व-I)/2017-18/डीएस- VI/381, दिनांक 30 जून, 2017 के तहत दिल्ली के राजपत्र, असाधारण, के भाग- IV में प्रकाशित किया गया था, में और आगे भी निम्नलिखित संशोधन करते हैं, यथा:-

उक्त अधिसूचना में, सारणी में,-

- (i) क्रम संख्या 3 के समक्ष,-

- (1) कॉलम (3) में शीर्षक 'सेवा का वर्णन' में, मद (iii) में, शब्दों और प्रतीकों "संघ राज्य क्षेत्र, स्थानीय प्राधिकरण, सरकारी प्राधिकरण अथवा सरकारी निकाय" के स्थान पर, शब्दों और प्रतीकों, "संघ राज्य क्षेत्र अथवा स्थानीय प्राधिकरण" को प्रतिस्थापित किया जाएगा;
- (2) कॉलम (3) में, शीर्षक 'सेवा का वर्णन' में, मद (vi) में, शब्दों और प्रतीकों "संघ शासित क्षेत्र, किसी स्थानीय प्राधिकरण, किसी सरकारी प्राधिकरण अथवा किसी सरकारी निकाय" के स्थान पर, शब्दों और प्रतीकों "संघ राज्य क्षेत्र अथवा स्थानीय प्राधिकरण" को प्रतिस्थापित किया जाएगा;
- (3) कॉलम (3) में, शीर्षक 'सेवा का वर्णन' में, मद (vii) में, शब्दों और प्रतीकों "संघ राज्य क्षेत्र, स्थानीय प्राधिकरण, एक सरकारी प्राधिकरण या किसी सरकारी इकाई" के स्थान पर, शब्दों और प्रतीकों "संघ राज्य क्षेत्र अथवा स्थानीय प्राधिकरण" को प्रतिस्थापित किया जाएगा;
- (4) कॉलम (3) में, शीर्षक 'सेवा का वर्णन' में, मद (ix) और (x) में, शब्दों और प्रतीकों "संघ राज्य या किसी स्थानीय प्राधिकरण या सरकारी प्राधिकरण या किसी सरकारी निकाय" के स्थान पर, शब्दों और प्रतीकों "संघ राज्य क्षेत्र या स्थानीय प्राधिकरण" को प्रतिस्थापित किया जाएगा;
- (5) कॉलम (5) में, शीर्षक "नोट" में, मद (iii),(vi),(vii),(ix) और (x) के सामने की प्रविष्टियों का लोप किया जाएगा;

(ii) क्रम संख्या 26 के समक्ष, कॉलम (3) में, शीर्षक 'सेवा का वर्णन' में, मद (i) में, उप मद (ख) में, शब्दों "वस्त्र एवं वस्त्र उत्पाद" के पश्चात्, प्रतीकों और शब्दों, "उनकी रंगाई या छपाई के माध्यम से सेवाओं को छोड़कर," को अंतःस्थापित किया जाएगा।

2. यह अधिसूचना 01 जनवरी 2022 से लागू होगी।

राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र दिल्ली के उपराज्यपाल
के आदेश से तथा उनके नाम पर,

मनोज कुमार, उप सचिव-I (वित्त)

नोट : प्रधान अधिसूचना संख्या 11/2017-राज्य कर (दर), दिनांक 30 जून, 2017 को सं0फा0 03(15)/वित्त (राजस्व-I)/2017-18/डीएस-VI/381, दिनांक 30 जून, 2017 के तहत दिल्ली के राजपत्र, असाधारण के भाग चार में प्रकाशित किया गया था और इसमें अंतिम बार अधिसूचना संख्या 06/2021-राज्य कर (दर), दिनांक 10 मार्च, 2022, सं. फा. 03(152)/वित्त (व्यय-I)/2021-22/डीएस-I/139, दिनांक 10 मार्च, 2022 के तहत संशोधन किया गया है।

FINANCE (EXPENDITURE-I) DEPARTMENT

NOTIFICATION

Delhi, the 16th March, 2022

No. 15/2021-State Tax (Rate)

No. F. 3(158)/Fin.(Exp-I)/2021-22/DS-I/169.—In exercise of the powers conferred by sub-section (1), sub-section (3) and sub-section (4) of section 9, sub-section (1) of section 11, sub-section (5) of section 15, sub-section (1) of section 16 and section 148 of the Delhi Goods and Services Tax Act, 2017 (03 of 2017), the Lieutenant Governor of the National Capital Territory of Delhi, on being satisfied that it is necessary in the public interest so to do, on the recommendations of the Council, hereby makes the following amendments further to amend in the notification of the Government of National Capital Territory of Delhi, in the Department of Finance (Expenditure-I) No.11/2017-State Tax (Rate), dated the 30th June, 2017, published in the Gazette of Delhi, Extraordinary, Part IV, vide number F.3(15)/Fin(Rev-I)/2017-18/DS-VI/381, dated the 30th June, 2017, namely:-

In the said notification, in the TABLE, -

(i) against serial number 3,-

- (1) in column (3), in the heading "Description of Service", in items (ii),(vi),(ix) and (x), for the words "Union territory, a local authority, a Governmental Authority or a Government Entity" the words "Union territory or a local authority" shall be substituted;
- (2) in column (3), in the heading "Description of Service", in item (vii), for the words "Union territory, local authority, a Governmental Authority or a Government Entity" the words "Union territory or a local authority" shall be substituted;

- (3) in column (5), in the heading "Condition", the entries against items (iii), (vi), (vii), (ix) and (x), shall be omitted;
- (ii) against serial number 26, in column (3), in the heading "Description of Service", in item (i), in clause (b), after the words, numbers, figures and brackets "Customs Tariff Act, 1975 (51 of 1975)" the words "except services by way of dyeing or printing of the said textile and textile products" shall be inserted.

2. This notification shall come into force with effect from the 1st day of January, 2022.

By Order and in the Name of the Lt. Governor
of the National Capital Territory of Delhi,
MANOJ KUMAR, Dy. Secy.-I (Finance)

Note: The principal notification No. 11/2017 - State Tax (Rate), dated the 30th June, 2017 was published in the Gazette of Delhi, Extraordinary, Part-IV, vide number F.3(15)/Fin(Rev-I)/2017-18/DS-VI/381, dated the 30th June, 2017 and last amended by notification No. 06/2021 - State Tax (Rate), dated the 10th March 2022 vide number F.3(152)/Fin.(Exp-I)/2021-22/DS-I/139, dated the 10th March, 2022.